न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/22)

1. मनीराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

अपीलान्ट

बनाम

1. पवन कुमार पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (तथाकथित)
2. मंजूबाला पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा (तथाकथित)
3. ग्राम पंचायत डाबड़ी जरिये संरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ी तहसील भादरा।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री मदन सुरौलिया – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हरीश मदान – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. मोहम्मद इम्तियाज अली –राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 05.12.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 13.06.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 पवन कुमार एवं रेंस्पोडेन्ट सं. 2 मंजूबाला ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश कर रौही मौजा डाबड़ी पटवार हल्का डाबड़ी द्वारा तस्दीक किये गये इन्तकाल सं. 3053 दिनांक 29.11.2022 को अपने ही आदेश दिनांक 06.02.2023 द्वारा अपास्त किया गया है, उक्त अपास्त आदेश को निरस्त कर इन्तकाल सं. 3053 बहाल किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.06.2023 द्वारा रेस्पोडेन्ट पवन कुमार एवं मंजू बाला की अपील स्वीकार कर तहसीलदार भादरा तथा ग्राम पंचायत डाबड़ी को निर्देशित किया कि उनके द्वारा पुनः नामान्तरण रजिस्टर खोला जाकर विधिसंवत नामान्तरण सं. 3053 दिनांक 29.11.2022 पर अपीलार्थीगण को सुना जाकर नामान्तरण तस्दीक किये जाने की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट मनीराम द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.06.2023 को खारिज कर ग्राम पंचायत डाबड़ी का आदेश दिनांक 06.02.2023 को कायम रखा जाने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 को रजिस्ट्र्ड नोटिस से सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि खेताराम व चैनाराम के नाम से रोही डाबड़ी तहसील भादरा में पुराना खसरा नं. 486 मे 3 बीधा 10 बिस्वा एवं पुराना खसरा नं. 491 में 40 बीधा 9 बिस्वा कुल 52 बीधा 19 बिस्वा भूमि कागजातमाल में दर्ज थी, जिसमें खेतराम का 1/2 हिस्सा एवं चैनाराम का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि के सेटलमेंट के दौरान नये खसरा नं. 535, 556 व 564 कायम किये। खेताराम के नाम डाबड़ी तहसील भादरा मे खसरा नं. 542 में 20 बीधा भूमि है। सेटलमेंट के दौरान खसरा नं. 486 व 491 की 52 बीधा 19 बिस्वा में चैनाराम ने रामू का नाम दर्ज करवा लिया और अपने पुत्र भागचन्द को रामू के गौद दिखाकर उक्त भूमि में खेताराम, चैनाराम एवं भागचन्द का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया। खसरा नं. 542 की 20 बीधा भूमि खेताराम के नाम थी जो सेटलमेंट के दौरान खसरा नं. 65 में 16 बीधा खेतराम के नाम दिखाई उसमें भी चैनाराम एवं रामू का नाम दर्ज करवा लिया और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया। उक्त भूमि में चैनाराम और रामू का नाम गलत दर्ज किया है जो Ab Intio Void है, इस इन्द्राज से अपीलान्ट मनीराम के दादा पाबन्द नही है और न ही अपीलान्ट मनीराम पाबन्द है। रेस्पोडेन्ट पवन कुमार एवं मंजूबाला भी भागचन्द के पुत्र पुत्री नही है वे भगतराम के भाई राजकुमार के पुत्र पुत्री है। सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ी द्वारा दिनांक 06.02.2023 को जो आदेश पारित किया गया है व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर पारित किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है। रेस्पोडेन्ट भागचन्द के पुत्र पुत्री नही है, स्कूल रिकार्ड मे पिता का नाम गलत दर्ज करवाया हुआ है उन्होने जो सबूत पेश किये है वो मानने योग्य नही है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि बाबत एक वाद पहले से ही अदालत ए.सी.एम फास्ट ट्रेक भादरा में पेश कर रखा है जो पहले से ही जैरकार है, उक्त दावा में पेश धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश प्रार्थना पत्र नं. 44/21 अनवान मनीराम बनाम भागचन्द आदि में दिनांक 22.07.2021 को स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। उक्त भूमि बाबत हिस्सा हक दावा में तय होगा, जब तक दावा जैरकार है तब तक रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम से इन्तकाल दर्ज करने का कोई आदेश नही दिया जाना चाहिए था। अपीलान्ट आरजी जैर अपील के हितबद्व व्यक्ति है। खेताराम अपीलान्ट के दादा है, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 के नाम इंतकाल दर्ज होने से उसके हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उसका हिस्सा कम हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी का स्वीकार कर आदेश जैर अपील उपखण्ड अधिकारी भादरा दिनांक 13.06.2023 खारिज किया जावे एवं ग्राम पंचायत डाबड़ी का आदेश दिनांक 06.02.2023 कायम रखा जावे।

5. रेस्पोडन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि राजस्व रिकार्ड में यह उक्त भूमि दावा से पहले भागचन्द के नाम दर्ज थी, तथा दावा से पहले रेस्पोडेन्ट के पिता की मृत्यु के बाद उपरोक्त विवादित भूमि का विरासतन रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 3035 दिनांक 29.11.2022 तस्दीक किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को मृतक भागचन्द के वारिस नही मानते हुए उक्त नामान्तकरण को दिनांक 06.02.2023 को बिना आधार खारिज कर दिया। बिना सूचना दिये ग्राम पंचायत ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर Suo Moto कर खारिज किया है, जो उसे अधिकार नही है। इन्तकाल की कार्यवाही एक Fiscal कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार के अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता है उसके लिए दावा करना पड़ता है। अपीलान्ट ने सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) भादरा का जो दावा पेश किया है उक्त वाद भूमि पर रहन, बैय मुन्तकिल नही करने का आदेश है, खोला/गोदनामा बाबत मामले सिविल न्यायालय मे तय होते है। जिस Suo Moto आदेश के खिलाफ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट ने अपील पेश की है उक्त आदेश मे अपीलान्ट पार्टी भी नही थे। अपीलान्ट अपील मीमो मे खेताराम का पोता बता रहा है, अगर पिता जिन्दा है तो पोते के राईट नही होते है। हिन्दु सैक्शन एक्ट के तहत अपीलान्ट को अपील पेश करने का राईट नही है। क्योकि दादा के बाद पिता, चाचा, बूआ है वो दावा कर सकता है। अपीलान्ट भागचन्द का वारिस नही है, भागचन्द रामू के खोले गया है या नही इसे **Fiscal Proceeding** में तय नही किये जा सकते है। अपीलान्ट केवल रेस्पोडेन्ट को तंग एव परेशान करने की नियत से अपने आपको हितबद्व पक्षकार मानते हुए अपील पेश की है जो स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचानुसार निर्णय दिनांक 13.06.2023 पारित किया गया है वो न्यायसंगत है। अपीलान्ट ने केवल न्यायालय का समय खराब किया है। अतः अपीलान्ट की अपील को Heavy Cost के साथ खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में Air 2013 Chhattisgarh 107, Citation : 2016 (4) RLW 2812 (SC) का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट आराजी जैर अपील में हितबद्व एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

7. पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन, परीक्षण किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित होने से पूर्व यह भूमि भागचन्द दत्तक पुत्र रामू सा. देह खातेदार (हिस्सा 2597/7790) के नाम दर्ज रिकार्ड थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार मन्जूबाला पुत्री भागचन्द व पवन कुमार पुत्र भागचन्द लिखा हुआ है। नामान्तरकरण सं. 3053 दिनांक 29.11.2022 अनुसार भागचन्द दत्तक पुत्र रामू के स्थान पर पवन कुमार पुत्र भागचन्द व मन्जूबाला पुत्री भागचन्द

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रविष्टि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चूंकि अपीलार्थीगण को सुना जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें उक्तानुसार वर्णित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हस्तक्षेप की गुजाइश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2023 यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 05.12.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी. बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर